

:- शुद्धि पत्र :-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 73 दिनांक 07.08.2026 द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के विभिन्न घटकों में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि रु० 55968.00 लाख (पांच सौ उनसठ करोड अडसठ लाख रु०) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका-1 में उल्लिखित सारणी की क्रम संख्या-3 में अंकित विपत्र कोड 51-2235037960203 एवं अतिरिक्त स्वीकृत राशि रु० 3563.00 लाख (पैंतीस करोड तिरसठ लाख रु०) भुलवश अंकित हो गई है। अतएव क्रम संख्या-3 में अंकित पंक्ति को विलोपित किया जाता है। तदनुसार विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 73 दिनांक 07.08.2026 में स्वीकृति की कुल राशि रु० 55968.00 लाख (पांच सौ उनसठ करोड अडसठ लाख रु०) के स्थान पर कुल राशि रु० 52405.00 लाख (पांच सौ चौबीस करोड पांच लाख रु०) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. अतः उपर्युक्त के आलोक में स्वीकृत्यादेश में अंकित विषय एवं कंडिका-1 (सारणी सहित) को यथा संशोधित समझा जाय।

4. स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

5. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

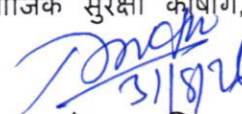
6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


संयुक्त सचिव,

जापांक- 3/यो0सं०क०-23/2022

/.....87...../दिनांक- 01.9.2026

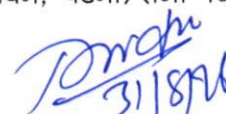
प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,

जापांक- 3/यो0सं०क०-23/2022

/.....87...../दिनांक- 01.9.2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-23/2022

/.....87...../दिनांक- 01.9.2026

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव,